झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1268 वर्ष 2017

स्वप्ना दत्ता, पुत्री–स्वर्गीय अरूण कुमार दत्ता, निवासी–1–बी/2–ए अरूण अपार्टमेंट, लिली कॉटेज लेन, डाकघर एवं थाना–लालपुर, जिला–रांची .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. भारतीय स्टेट बैंक अपने महाप्रबंधक, औद्योगिक संबंध विभाग, कॉर्पोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मैडम कैम रोड, डाकघर एवं थाना–मुंबई, जिला–मुंबई, महाराष्ट्र–400021
2. क्षेत्रीय प्रबंधक, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, रीजन–1, भारतीय स्टेट बैंक, रांची, जोनल अधिकारी, कोर्ट कंपाउंड, रांची, डाकघर एवं थाना–कचहरी रोड, जिला–रांची।
3. सहायक महाप्रबंधक, भारतीयय स्टेट बैंक, हटिया शाखा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री सौरभ अरूण, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– राजेश कुमार, अधिवक्ता

05/दिनांकः16 जून, 2017

प्रमाथ पटनायक, न्याया0 के अनुसार

तत्काल रिट आवेदन में, याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ–साथ प्रत्यर्थियों को 23.05.2016 से अब तक के वेतन के बकाए का भुगतान करने और वेतन जारी करने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना की है।

जवाबी हलफनामे का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्थी–बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 23.05.2016 की अवधि के बकाये वेतन के खिलाफ याचिकाकर्ता को 7,68,979/– रूपये की राशि का भुगतान किया गया है और वर्तमान वेतन के बकाये के खिलाफ याचिकाकर्ता के खाते में 5961/– रूपये जमा किए गए हैं, इसलिए, इस मामले में कुछ भी निर्णय लेने के लिए नहीं बचा है।

जवाबी हलफनामे में किए गए स्पष्ट बयान को ध्यान में रखते हुए, जिसे याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विवादित नहीं किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की शिकायत का निवारण कर दिया गया है।

इसलिए, रिट याचिका निरर्थक होने के कारण खारिज की जाती है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)